

5
6
7

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

335
2022

-: आदेश :-

प्राची के "खाता दुस्स्ती" प्रार्थना पत्र एवं पत्रवारी 2022 की

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार

पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्राग तहसील व

जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध 2074-2077 में खाता संख्या 75 में वर्तमान में

दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कुमाउड कुडा	75	① दलीप कुडा विद्याधर ② कजोडा कुडा शंकरा ③ नारदा कुडा शंकरा	① दलीप सिंह भीगा कुडा विद्याधर भीगा ② कजोडा कुडा शंकरा ③ नारदा सिंह कुडा शंकरा

प्रजासीन अधिकारी सिविल
 पीठासीन अधिकारी
 पञ्चायत समिति (अनु.)
 लोक अदालत
 (शेखरपुरा)
 उपखण्ड अधिकारी
 न्यायालय अधिकारी, सी.सी.सी.
 पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 01/01/22

क्रमांक :- 85

प्रतिवेदन :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर

खाली रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्राची को को सूचनाथ।

3. तहसील पत्रवारी।

प्रजासीन अधिकारी सिविल
 पीठासीन अधिकारी
 पञ्चायत समिति (अनु.)
 लोक अदालत
 (शेखरपुरा)
 उपखण्ड अधिकारी
 न्यायालय अधिकारी, सी.सी.सी.
 पदेन सहा. कलक्टर